न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर०ए०एस०)

अपील/18/2021

1–लव पुत्र वीरभान
2–कुश पुत्र वीरभान
3–माया बेबा वीरभान
} जाति जाट निवासी गढी साद तहसील भुसावर जिला भरतपुर

....अपीलान्टस

बनाम

1–सियाराम पुत्र छिद्दा
2–किरनदेई पत्नि राधेश्याम
3–चम्पा देवी पत्नि सीताराम
} जाति ~~जाट~~ धीमर निवासी गढी साद तहसील भुसावर जिला भरतपुर

4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

........असल रेस्पो0

5–कुंवर सिंह । पिसरान बनयसिंह जाति जाट निवसी गढी साद तहसील
6–दिलीप । भुसावर जिला भरतपुर

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार बयाना बाबत दाखिल खारिज संख्या 748 आदेश दिनांक 23.12.20 आराजी बाके ग्रांम सादपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थितः–

1–श्री नीरपाल सिंह , अभिभाषक अपीलान्टस,

2–मोहन सिंह राना , अभिभाषक रेस्पो0असल

आदेश

दिनांक 09.03.2022

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलान्टान ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना निर्णय 23–12–2020 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–12–2020 में तहसीलदार बयाना ने पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नामान्तकरण संख्या 748 दिनांक 13.07.2020 खारिज किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने ये अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार बयाना के पत्रांक एलआर/2021/26653 दिनांक 14.0 7.2021 से प्राप्त प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 748 शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि हल्का पटवारी ने नामान्तकरण संख्या 748 मुताबिक जमाबन्दी रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर सही दर्ज किया गया है। गिरदावर द्वारा बिना मौका रिकार्ड एवं जमाबन्दी तथा विक्रय पत्र की जांच किये नियमों के विपरीत अपनी रिपोर्ट में यह अंकित करना कि जमाबंदी एवं विक्रय पत्र में मिलान नहीं हो रहा है। अपीलान्टस ने नामान्तकरण में दर्ज आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.06.2018 को खरीद की गई है। उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार बयाना ने आई.एल.आर. की गलत जांच रिपोर्ट पर भरोसा कर नियमों का अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश नियमों के विपरीत पारित किया गया है। चूंकि क्रेता की बयनामा होने के पश्चात मृत्यू होने पर दाखिल खरिज जो बयनामा के आधार पर खोला जाना है को अस्वीकार कर दिया गया है। अपील के म्याद बिन्दू पर पर योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्टस को नहीं थी। अपीलान्टस विरासत का दाखिल खारिज खुलवाने पटवारी हल्का के पास दिनांक 16.03.2021 को गये थे, तब हल्का पटवारी ने बताया कि आपका दाखिल खारिज तहसीलदार साहब द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जानकारी होने पर नकल वगेरा लेकर अपील बिना देरी के पेश की गई है देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

गया है। उन्होने देरी को माफ कर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील स्वीकार की जावे। तहसीलदार बयाना को निर्देश दिये जावें कि वे मुताबिक बयनामा के आधार पर नमान्तकरण दर्ज किया जावे तथा मृतक वीरभान के वारिसान के नाम दाखिल दर्ज किया जावे।

योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने कथन किया कि मुताबिक अपील, प्रार्थना अपीलान्टस स्वीकार किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पो. अपनी आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्टस को बेचान कर चुके हैं। अपीलान्टस विवादित आराजी को अपने नाम दाखिल खारिज दर्ज कराने के हकदार रहते हैं। अपील स्वीकार किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्टस ने देरी को माफ करने के लिये म्याद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसके समर्थन में शपथ–पत्र पेश किया है पर विचार करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील की मैरिट पर विचार किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 748 ग्रांम सादपुरा तहसील बयाना का अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ".....मुताविक रजि0 दस्तावेज के बेचान का नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं उचित निर्णय हेतु पेश है.....।" रजिस्टर वैयानामा तारीखी 04.06.2018 में क्रेतागण क्रमशः कुंवरसिंह, वीरभान एवं दिलीप तीन व्यक्ति हैं। दाखिल खारिज के कालम न. 8 में 1–कुंवर सिंह 2– दिलीप एवं मृतक वीरभान के वारिसान के नाम सीधा ही दर्ज कर दिया गया है। इसी लिए आई.एल.आर. की यह रिपोर्ट जमाबन्दी से मिलान नही हो रहा है। जिसके आधार पर तहसीलदार बयाना द्वारा उक्त नामान्तकरण अस्वीकार किया गया है।

चूँकि विवादित आराजी क्रेतागण क्रमशः कुंवरसिंह, वीरभान एवं दिलीप तीन व्यक्तियों ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तारीखी 04.06.2018 से क्रय की गई है। रेस्पो. विक्रेतागण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथमतः मुताविक बयानामा विक्रेतागण के हक में नामान्तकरण स्वीकार किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जाना तत्पश्चात नियमानुसार मृतक के विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान की जांच कर खोले जाने के लिये प्रकरण तहसीलदार बयाना को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है। प्रकरण तहसीलदार बयाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचनानुसार जांच कर नियमानुसार पुनः नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)